

गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक एवं रिफ्रेशर)

मुख्य पृष्ठ > योजनाओं का विवरण



गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक एवं रिफ्रेशर)

संख्या	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
2.	हितग्राही	प्रारंभिक प्रशिक्षण- सभी वर्ग के 10वीं पास 18 से 35 वर्ष के आयु के शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार। रिफ्रेशर प्रशिक्षण-प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवक।
3.	चयन प्रक्रिया	प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से वहाँ के निवासी 10वीं पास शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार का चयन जनपद पंचायत के अनुमोदन पर किया जाएगा। रिफ्रेशर प्रशिक्षण - प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवकों का वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा।
4.	इकाई लागत	प्रारंभिक प्रशिक्षण- ₹ 1000.00 प्रतिमाह के मान से छः माह हेतु ₹ 6000.00 stipend ₹ 1200.00 की कीट, इस प्रकार (कुल ₹ 7200.00 प्रति गौसेवक) रिफ्रेशर प्रशिक्षण- ₹ 500.00 की stipend एवं ₹ 100.00 की पाठ्य सामग्री इस प्रकार (कुल ₹ 600.00 प्रति गौसेवक)
5.	स्टायर्पंड	प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण में क्रमशः 6000.00 एवं 500.00 का stipend शत् प्रतिशत विभाग द्वारा देय होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक प्रशिक्षण में 1200.00 की किट (प्रति गौसेवक) एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए 100.00 की पाठ्य सामग्री (प्रति गौसेवक) भी शत् प्रतिशत विभाग द्वारा देय होगी।
6.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा।